निर्मलजीत कौर ***न्यायमूर्ति के समक्ष,***

सुरेंद्र- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य ~ *प्रतिवादी*

2011 का आपराधिक संशोधन संख्या 640

19 अप्रैल, 2011

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 35-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007-आरआई। 12(3)-जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969—धारा 17—याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज- विचारण के दौरान याचिकाकर्ता ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत और नियम 8 के तहत जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को स्वीकार करने के लिए आवेदन दायर किया—न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया और मैट्रिक प्रमाणपत्र में प्रविष्टि पर भरोसा किया जिसके द्वारा वह उस समय एक बालिग था—पुनरीक्षण याचिका ने उस जन्म प्रमाण पत्र को धारण करने की अनुमति दी सार्वजनिक दस्तावेज होने के नाते उपयुक्त प्राधिकारी को जन्म तिथि दर्शाने वाले मैट्रिक प्रमाण पत्र पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए - यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

यह माना गया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आधिकारिक रजिस्टर के आधार पर है और उक्त प्रविष्टि एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की जाती है। उक्त प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत सभी शर्तों को पूरा करता है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के नियम 12 को तैयार करते समय। 2000, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देते हुए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अपने स्वयं के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्राथमिक साक्ष्य को नजरअंदाज करना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है। दरअसल, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का नियम 12. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपयुक्त जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में किशोर की आयु निर्धारित करने के लिए 2000 को बहाल किया जाना चाहिए, जो एक प्राथमिक दस्तावेज और प्रमाण है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य है।

निर्मलजीत कौर, न्यायमूर्ति

(1) यह अपर सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित दिनांक 10 फरवरी, 2011 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण है, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा उसे किशोर घोषित करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।

(2) एफआईआर नंबर 260, दिनांक 13 जुलाई 2009 को पुलिस स्टेशन नारनौंद में धारा 323,506.307,34 आईपीसी के तहत वर्तमान याचिकाकर्ता और उसके सह-आरोपी के खिलाफ जिला हिसार दर्ज किया गया है। पूर्वोक्त मामले के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है कि उसकी जन्मतिथि 16 सितंबर, 1991 है, जो नियम 8 के तहत रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार है। इस प्रकार, उपरोक्त अपराध के कमीशन के समय,वह नाबालिग और किशोर था क्योंकि उसकी उम्र 17 साल और 10 महीने थी। तथापि, विचारण न्यायालय ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा 1 फरवरी के आदेश के *तहत* दायर आवेदन को खारिज कर दिया। 2011. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 1 7 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करने के बजाय, याचिकाकर्ता के मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि को महत्व दिया। उक्त आक्षेपित आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है:

(a) नियम 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र द्वारा दर्ज जन्म की तारीख, *साक्ष्य* में स्वीकार्य है और इसे किसी भी तरह से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथिभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अनुसार स्वीकार्य है।

(b) कि स्कूल प्रविष्टियों में दर्ज जन्म तिथि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है और इस तथ्य को भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 के सितंबर (सीआरएल) संख्या 6629 में साबित और तय किया गया है, जिसका फैसला 12 मार्च, 2010 को **जबर सिंह** *बनाम* **दिनेश और अन्य के** रूप में किया गया था।

(c) यदि प्रतिवादी यह बताने में विफल रहा कि किस आधार पर और किस दस्तावेज से याचिकाकर्ता की जन्मतिथि स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज की गई थी और इसके अभाव में, स्कूल प्रविष्टियों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अस्वीकार्य है।

(d) कि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार यानी 16 सितंबर को। 1991. वर्तमान याचिकाकर्ता अपराध के समय 17 साल 10 महीने का था और स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म का डेल जिसे ट्रायल कोर्ट ने भरोसा किया था, वह 3 जून 1991 है और इसके अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता कथित अपराध के कमीशन के समय 18 साल और 01 महीने का था। इस प्रकार, यह सीमा रेखा का एक हिस्सा है और किशोर होने का लाभ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए।

(3) प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने इसका विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के नियम 12 के मद्देनजर पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं थी। जिसमें मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र को पीआर दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता चौकीदार के रजिस्टर को पेश करने में विफल रहा जिसमें जन्म तिथि उसके द्वारा कथित रूप से दर्ज की गई थी, इसलिए जन्म की तारीख 16 सितंबर थी। याचिकाकर्ता की उम्र का निर्धारण करते समय चौकीदार द्वारा कथित रूप से दर्ज 1991 को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(4) सुना।

(5) वर्तमान मामले में, सक्षम प्राधिकारी ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 के तहत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। उक्त प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि 16 सितंबर 1991 है जबकि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2007 का नियम 12(3) इस प्रकार है:-

(6) ***आयु के निर्धारण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।***

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित मामले में आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके आयोजित की जाएगी:

(i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और जिसके अभाव में:

(ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की मृत्यु (एक प्ले स्कूल के अलावा) ने पहली बार भाग लिया; और जिसके अभाव में;

(iii) एक निगम या एक नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल(i) की अनुपस्थिति में। (ii) अथवा (iii) खंड

(1) उपरोक्त मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। आसानी से आयु का सटीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी आसान हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक माना जाता है, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर उसकी उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दे सकती है और, इस तरह की आसानी से आदेश पारित करते समय, ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो उपलब्ध हो सकते हैं, या चिकित्सा राय, जैसा भी आसान हो सकता है, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा और किसी भी खंड (ए) (i), (ii), (iii) में निर्दिष्ट साक्ष्य में से कोई भी या जिसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा कानून।

(6) इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपर्युक्त नियम में यह विचार किया गया है कि आयु निर्धारित करने के लिए, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या निगम या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर उस क्रम में विचार किया जाएगा, जबकि, तथ्य यह है कि माननीय शीर्ष अदालत ने कई मामलों में बार-बार कहा है कि किसी भी व्यक्ति की उम्र के लिए निर्णायक साक्ष्य उसका जन्म प्रमाण पत्र है।

(7) इस प्रकार, वर्तमान आसानी में शामिल संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या स्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि की प्रविष्टि को जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि की प्रविष्टि पर प्राथमिकता दी जानी है। मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) या नहीं।

(8) **रविंदर सिंह गोरखी** *बनाम* **यूके राज्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि की प्रविष्टि केवल साक्ष्य का एक टुकड़ा है और यह उस सामग्री के अभाव में उम्र का प्रमाण नहीं है जिस पर उम्र दर्ज की गई थी और आगे पैरा 21 में निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"21. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 सिविल और आपराधिक कार्यवाही दोनों में लागू होगी। साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज एक

[1] एआईआर 2006 सुप्रीम कोर्ट 2157

नागरिक कार्यवाही और एक आपराधिक कार्यवाही के बीच कोई अंतर नहीं करतेहैं। जब तक विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारी के विधिवत निर्वहन में या देश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के प्रदर्शन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, ऐसा रजिस्टर रखा जाता है, एक प्रासंगिक तथ्य होगा, धारा 35. इस प्रकार, किसी दस्तावेज को उसके तहत स्वीकार्य होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है:

(i) यह किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रकृति में होना चाहिए;

(ii) इसे मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में एक तथ्य बताना चाहिए;

(iii) प्रवेश या तो किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारी के विधिवत निर्वहन में यादेश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित किसी कार्य के निष्पादन में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए; और

(iv) निर्विवाद रूप से संबंधित सभी व्यक्तियों की उस तक पहुंच होनी चाहिए।

(9) इस प्रकार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आधिकारिक रजिस्टर के आधार पर है और उक्त प्रविष्टि एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की जाती है। उक्त प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत सभी शर्तों को पूरा करता है।

(10) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एलअहर सिंह** *बनाम* **दिनेश और अन्य**[2] के मामले में स्कूल अभिलेख और स्थानांतरण प्रमाणपत्रों का उल्लेख करते हुए निर्णय दिया कि उक्त दस्तावेज पैरा 12 में टिप्पणी करके साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जो निम्नानुसार हैं-

(11) हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने में बिल्कुल भी सही नहीं किया अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का। प्रवेश पत्र में प्रतिवादी नंबर 1 की जन्म तिथि की प्रविष्टि, स्कूल **अभिलेख** और ट्रांसफर सर्टिफिकेट साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते थे क्योंकि प्रविष्टि किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में नहीं थी और न तो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या देश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के प्रदर्शन में कोई भी व्यक्ति और वहां विद्या, प्रतिवादी संख्या की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रविष्टि प्रासंगिक नहीं थी। मैं एक आरोप पत्र के कमीशन के समय।

(II) दूसरी ओर, **बिक्रम रे** *बनाम* **श्रीमती जेमए एमबीराम और अन्य**[3] के मामले में उड़ीसा एच आईजीएच कोर्ट

[2] 2010 (2) **राज** 252

[3] 2011 (एल) आरसीआर (सीआरएल) 584

की एकल पीठ ने निम्नानुसार आयोजित किया: -

"6. xxx xxx **मायाधर नायक** *बनाम* **उपमंडल अधिकारी, जयपुर और अन्य, 54** (1982) CLT265 **में** इस न्यायालय ने माना है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेजों और I साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि प्रविष्टियां किसने कीं और सूचना का स्रोत क्या था। न्यायालय ने आगे कहा कि रजिस्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है, शुद्धता की धारणा इसके साथ जुड़ी हुई है और उस पक्ष पर भारी जिम्मेदारी है जो अनुमान पर विवाद करना चाहती है। **सिबा पीप्रसाद** जेना *बनाम* **पुष्पांजलि जेना और अन्य,** 2007 (59)**एसीसी** 724 **(उड़ीसा उच्च न्यायालय)** इस न्यायालय ने आगे कहा कि जन्म प्रमाण पत्र स्वास्थ्य केंद्र द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर का उद्धरण है। रजिस्टर को फार्म नं. (ii) उड़ीसा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली के नियम 13 के अनुसार। 1970. 'इसलिए, जन्म प्रमाण पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है। न्यायालय ने आगे कहा कि जब जन्म प्रमाण पत्र जन्म रजिस्टर और डीईए द्वारा जारी किया गया है, तो इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बनाए गए रजिस्टर के आधार पर जारी एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, कोई औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं है।

(12) इसी तरह का दृष्टिकोण राजस्थानऔर हरियाणा न्यायालय द्वारा **जीतू उर्फ जितेंद्र** *बनाम* **राज्य (राजस्थान)**[4] के मामले में भी रखा गया था। रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में जन्म के दिन की प्रविष्टि प्राथमिक साक्ष्य है।

(13) वर्तमान मामले में, उक्त प्रमाण पत्र को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया था कि चौकीदार रजिस्टर में दर्ज तारीख को साबित करने के लिए रजिस्टर के साथ चौकीदार की जांच नहीं की गई है और न ही रजिस्ट्रार से किसी व्यक्ति की जांच की गई है। जन्म और मृत्यु के बारे में यह साबित करने के लिए कि किस आधार पर अभियुक्त के बीआईआर की उपरोक्त तारीख उनके रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। यह दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्धारित कानून के विपरीत है । **हरपाल सिंह और अन्य** *बनाम* **हिमाचल प्रदेश**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का अच्छी तरह से निपटारा किया गया है, यह मानते हुए कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में जन्म की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति ईवीआईडी ई एनसीई की धारा 35 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है अधिनियम और इसलिए अधिकारी की परीक्षा, जहां जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है, आवश्यक नहीं थी। उक्त

[4] 200(3) आरसीआर (सीआरएल) 608
[5] 1981 क्रि. एल.जे.

निर्णय का पैरा 3 प्रासंगिक है और निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

(14) इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर लड़की की उम्र साबित कर दी है। सबसे पहले,डॉ. जगदीश राय (पीडब्लू 14) के पास सबूत हैं जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने लड़की की एक्स-रे जांच के बाद पाया कि वह लगभग 15 वर्ष की थी। इसकी पुष्टि पूर्व पीई द्वारा की जाती है जो सरकारी गर्ल्स एचआईजीएच स्कूल, समनोली (जिसमें लड़की एक छात्रा थी) में बनाए गए प्रवेश रजिस्टर में एक प्रविष्टि है और जो आई लीड मास्टर द्वारा साबित की जाती है। उस प्रविष्टि में लड़की की तारीख 13 अक्टूबर लिखी गई है। 1957. एक और दस्तावेज है, *अर्थात्* 1 एलएक्स पीडी। जन्म रजिस्ट्रकर्ता में प्रासंगिक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति जो दर्शाती है कि सरोज कुमारी, जो अपने साक्ष्य के अनुसार बचपन में रमेश के रूप में जानी जाती थीं, का जन्म 11 नवंबर को दौला टी राम की पत्नी एलअजवानटीआई से हुआ था। 1957 श्री एचआर्डी ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि दर्ज करने वाले संबंधित अधिकारी/चौकीदार की परीक्षा के अभाव में . यह साक्ष्य में अस्वीकार्य था। हम उनसे इस साधारण कारण से सहमत नहीं हो सकते कि प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी, इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है, और अभियोजन पक्ष को इसकी इसके लेखक की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबूतों को किसी भी नजरिए से देखें, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना के समय सरोज कुमारी की उम्र 16 साल से कम थी। तदनुसार, हम नीचे की अदालतों के निर्णयों से सहमत हैं और इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं जिसे खारिज कर दिया गया है।

(14) वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने द्वि प्रमाण पत्र की मूल/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी।

इस प्रकार, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है और तदनुसार चौकीदार या उसमें प्रवेश करने वाले अधिकारी को पेश करके इसे साबित करना आवश्यक नहीं था।

(15) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के नियम 12 को तैयार करते समय, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अपने स्वयं के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्राथमिक साक्ष्य की अनदेखी करने का विधायिका का इरादा नहीं हो सकता था। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देने के लिए 1969। वास्तव में, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के नियम 12 का सहारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत समुचित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अभाव में किशोर की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाना है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत प्रमाण का प्राथमिक दस्तावेज और स्वीकार्य है। 1872.

(16) इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

(17) उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराध के समय याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी और इसलिए अपराध की तारीख को किशोर था।

(18) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित दिनांक 1 फरवरी, 2011 को आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

न्यायमूर्ति ठाकुर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा